

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 नवम्बर 2010—कार्तिक 28, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2010

क्र. ई. 1-146-2010-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017-22-2010-अभासे (1), दिनांक 5 अगस्त 2010 द्वारा श्री नंद कुमारम्, भाप्रसे (2008) की सेवाएं झारखण्ड संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित किये जाने के फलस्वरूप उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-3-1-2010-1-4.—राज्य शासन एतद्वारा, अनूपपुर जिला पंचायत सदस्य के आम निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 21 अक्टूबर 2010 गुरुवार को जिले के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

2. उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशियएबल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

मछली पालन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2010

क्र. एफ 22-35-2009-छत्तीस.—राज्य शासन द्वारा संचालक मत्स्योद्योग का चालू कार्यभार दिनांक 1 नवम्बर 2010 से आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ को सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. डी. गुप्ता, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2010

क्र. एफ 3-106-2010-बत्तीस-शुद्धि-पत्र.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 जुलाई 2010 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 6 अगस्त 2010 को प्रकाशित हुई है, जिसके द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13(1) के अन्तर्गत मढ़ई निवेश क्षेत्र का गठन किया है, को निम्न त्रुटि सुधार के साथ पढ़ा जाये :—

उक्त अधिसूचना के अनुसूची के बिन्दु क्रमांक-1 उत्तर में ग्राम “कामठी” के स्थान पर ग्राम “कामती” पढ़ा जाये।

वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2010

क्र. एफ-3-37-बत्तीस-2010.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 38 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा विभागीय अधिसूचना क्र. 3-133-बत्तीस-98, दिनांक 26 नवम्बर 1998 में यथा विनिर्दिष्ट कटनी निवेश क्षेत्र, जिसकी सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई है, के लिये इस अधिसूचना के प्रसारण की तिथि से कटनी नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की स्थापना करती है :—

अनुसूची**कटनी — निवेश क्षेत्र की सीमायें**

उत्तर में—ग्राम चाका, लमतरा, मटवार, पड़रिया की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में—ग्राम मटवार-पड़रिया, घटखिरवा, खिरहनी, जोहला, छपरवारा, हिरवास एवं गाताखेड़ा की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में—ग्राम गाताखेड़ा, पिपरिया, छहरी, इमलिया, कछगवां, देवरी से दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में—ग्राम देवरी, झिंझरी, अमकुटी कैलवारा, टिकरिया, पुरैनी, पहरूवा तथा चाका की पश्चिमी सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

परिशिष्ट-6

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 1998

क्र. एफ-3-133-बत्तीस-98.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की उपधारा (2) (क) अर्ध राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कटनी निवेश क्षेत्र जो, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 3195-एफ-1-88-तैंतीस-73, दिनांक 14 अक्टूबर 1973 द्वारा गठित किया गया था, की सीमाओं में परिवर्तन करती है, जिसकी पुनरीक्षित सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैं :—

अनुसूची**कटनी — पुनरीक्षित क्षेत्र की सीमायें**

उत्तर में—ग्राम चाका, लमतरा, मटवार, पड़रिया की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में—ग्राम मटवार-पड़रिया, घटखिरवा, खिरहनी, जोहला, छपरवारा, हिरवास एवं गाताखेड़ा की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में—ग्राम गाताखेड़ा, पिपरिया, छहरी, इमलिया, कछगवां, देवरी से दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में—ग्राम देवरी, झिंझरी, अमकुटी कैलवारा, टिकरिया, पुरैनी, पहरूवा तथा चाका की पश्चिमी सीमा तक.

बी. एन. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2010

क्र. एफ 3-37-बत्तीस-2010.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 38 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग की अधिसूचना क्र. 2957-1-90-33-73, दिनांक 22 नवम्बर 1973 में यथा विनिर्दिष्ट रतलाम निवेश क्षेत्र, जिसकी सीमाएं निम्न अनुसूची में

परिनिश्चित की गई है, के लिये इस अधिसूचना के प्रसारण की तिथि से रतलाम नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की स्थापना करती है :-

अनुसूची

रतलाम—निवेश क्षेत्र की सीमायें

उत्तर में—बंजली, सेजावता, घटला, बोरवना, दोसीगांव, राजगढ़ एवं बड़बड़ ग्राम की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में—बिरियाखेड़ी, खेतलपुर एवं सागोद ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में—भेरूगढ़, दिलीप नगर, करमदी एवं सलाखेड़ी ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में—सनावदा, हापूखेड़ी, सुराखेड़ी, भाटखेड़ी, बाजनखेड़ा एवं भट्टनी ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

परिशिष्ट-3

नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 1973

क्र. 2957-1-90-33-73.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13(1) के अधीन, मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपरोक्त रतलाम नगर के लिये निवेश क्षेत्र का गठन कर उसकी सीमाएं निम्नानुसार परिनिश्चित की गई हैं :-

अनुसूची

रतलाम— निवेश क्षेत्र की सीमायें

उत्तर में—बंजली, सेजावता, घटला, बोरवना, दोसीगांव, राजगढ़ एवं बड़बड़ ग्राम की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में—बिरियाखेड़ी, खेतलपुर एवं सागोद ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में—भेरूगढ़, दिलीप नगर, करमदी एवं सलाखेड़ी ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में—सनावदा, हापूखेड़ी, सुराखेड़ी, भाटखेड़ी, बाजनखेड़ा एवं भट्टनी ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2010

क्र. एफ-3-37-बत्तीस-2010.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 38 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा आवास एवं पर्यावरण विभाग, कलेक्टर एवं सदस्य सचिव, जिला योजना समिति, शहडोल की अधिसूचना क्र. 9-90-जि.यो.स. न. ग्रा. नि. 2000, दिनांक 19 जनवरी 2000 में यथा विनिर्दिष्ट अमरकंटक निवेश क्षेत्र, जिसकी सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई है, के लिये इस अधिसूचना के प्रसारण की तिथि से अमरकंटक नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की स्थापना करती है :-

अनुसूची

अमरकंटक—निवेश क्षेत्र की सीमायें

उत्तर में—जालेश्वर एवं उमरगोहान ग्राम की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में—उमरगोहान, जालेश्वर और अमरकंटक ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में—अमरकंटक, दमगढ़ ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में—अमरकंटक, दमगढ़, जालेश्वर तथा उमरगोहान की पश्चिमी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

परिशिष्ट-4

कलेक्टर एवं सदस्य सचिव, जिला योजना समिति, शहडोल

शहडोल, दिनांक 19 जनवरी 2000

क्र. 9-90-जि.यो.स.न.ग्रा.नि. 2000.—मध्यप्रदेश जिला योजना समिति 1995 की धारा 7 (क) (1) सहपठित मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.-3-25-99-बत्तीस, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन एतद्वारा अधिनियम के प्रयोजन हेतु "अमरकंटक निवेश क्षेत्र" का गठन किया जाता है, जिसकी सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैं :-

अनुसूची

अमरकंटक—निवेश क्षेत्र की सीमायें

उत्तर में—जालेश्वर एवं उमरगोहान ग्राम की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में—उमरगोहान, जालेश्वर और अमरकंटक ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में—अमरकंटक, दमगढ़ ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में—अमरकंटक, दमगढ़, जालेश्वर तथा उमरगोहान की पश्चिमी सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2010

क्र. एफ-3-132-2010-बतीस—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य शासन, एतद्द्वारा, सलकनपुर (रेहटी) निवेश क्षेत्र का गठन करता है. सलकनपुर से लगे ग्रामों के निवेश क्षेत्र की सीमायें निम्न अनुसूची में दर्शाये अनुसार परिलक्षित की गई हैं :—

अनुसूची

उत्तर में—बोरी, पिपलिया, कोसमी, गेंहूखेड़ा, रेहटी एवं धामण्डा की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में—धामण्डा, भब्बड़, इटावा जदीद एवं रिझाड़िया की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में—रिझाड़िया, ककरदा, नयागांव, मकोड़िया एवं इटारसी की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में—इटारसी एवं बोरी की पूर्वी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-1(ए)-10-2004-ए-सोलह.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14 सन् 1947) की धारा-7-ए की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा न्यायमूर्ति श्री एस. ए. नकवी, अध्यक्ष मध्यप्रदेश औद्योगिक न्यायालय को मध्यप्रदेश औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

No. F-1 (A)10-2004-A-XVI—In exercise of powers conferred by sub-section-2 of Section 7-A of the Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of the 1947) the

State Government hereby appoints Justice Shri S. A. Naqvi, President of the Madhya Pradesh Industrial Courts, as Presiding Officer of the State Industrial Tribunal with effect from the date. he takes over charge.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुखराज मारू, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2010

फा. क्र. 4-1-2002-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14-8-2002 के अनुक्रम में उच्च न्यायालय की अनुशांसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा-4 के अधीन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचनाएं दिनांक 4 मार्च 2002 एवं 3 सितम्बर 2010 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालयों में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम 2002 के नियम 3 (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये परिवार न्यायालयों में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने (जो भी पहले हो) तक सारणी में वर्णित स्थान पर नियुक्त करता है :—

उक्त न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम 2002 के नियम 3(3) के अन्तर्गत होगा.

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदस्थापना	कुटुम्ब न्यायालय का मुख्यालय
(1)	(2)	(3)
1	श्री राजेन्द्र कुमार महाजन, (जूनि) जिला न्यायाधीश, कटनी.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल.
2	श्री नरसिंहदास पटले, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, होशंगाबाद.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़.

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2010

फा.क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब(एक).—स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्र. 1-6-89-इक्कीस-

ब(एक) दिनांक 24 फरवरी 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 12 मार्च 2010 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 32 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

अनुक्रमांक	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/सत्र खण्ड
(1)	(2)	(3)
“32.	विशेष न्यायालय, नीमच	नीमच सेशन खण्ड, अतिरिक्त विशेष न्यायालय, मनासा को दिये गये क्षेत्राधिकार को छोड़कर.
32-क	अतिरिक्त विशेष न्यायालय, मनासा.	पुलिस थाना मनासा, रामपुरा तथा कुकरेश्वर का स्थानीय क्षेत्र “.”

टिप्पणी.—सेशन न्यायाधीश किसी ऐसे विशेष न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, इस अधिसूचना के अधीन, विशेष न्यायाधीशों के बीच अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिये व्यवस्था कर सकेगा.

F.No. 1-6-89-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 36 of the Narcotic Drugs and psychotropic Substances Act,

1985 (No. 61 of 1985), the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 1-6-89-XXI-B(I) dated 24th February 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette part 1, dated 12th March, 2010, namely :—

AMENDMENTS

In the said Notification, in the Table for Serial number 32 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S.No.	Special Court	Local area/Sessions Divisions
(1)	(2)	(3)
“32.	Special Court, Neemuch	Neemuch Sessions Division except Jurisdiction given to Additional Special Court, Manasa.
32-A	Additional Special Court, Manasa, Rampura and Manasa.	Local area of Police Station Kukreshwar“.”

Note.—The Sessions Judge may make arrangement for hearing of urgent matters amongst the Special Judges under this Notification in absence of any such Special Judge.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2010

क्र. एफ-25-12-2008-दस-3.—मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-26-2-87-दस-3, दिनांक 1 अप्रैल 1987 एवं क्रमांक-25-13-दस-3-94, दिनांक 22 सितम्बर 1994 द्वारा गठित/पुनर्गठित निम्न सामाजिक वानिकी वनमंडलों को आदेश जारी होने की तिथि से समाप्त किया जाता है :-

क्रमांक	वन वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमण्डल का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	सामाजिक वानिकी वनमण्डल, छिंदवाड़ा
2	छतरपुर	छतरपुर	सामाजिक वानिकी वनमण्डल, छतरपुर
3	होशंगाबाद	होशंगाबाद	सामाजिक वानिकी वनमण्डल, होशंगाबाद

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2010

क्र. एफ-25-12-2008-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-25-12-2008-दस-3, दिनांक 3 नवम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal, the 3rd November 2010

No. F-25-12-2008-X-3.—The following divisions constituted/re-organised *vide* Madhya Pradesh Forest Department order No. F-26-2-87-X-3, date 1st April, 1987 and No. 25-13-X-3-94, dated 22nd September 1994 are hereby abolished with effect from the dated of issue of order :—

S.No. (1)	Name of Forest circle (2)	Name of District (3)	Name of Division (4)
1	Chhindwara	Chhindwara	Social Forestry Division, Chhindwara
2	Chhatarpur	Chhatarpur	Social Forestry Division, Chatarpur
3	Hoshangabad	Hoshangabad	Social Forestry Division, Hoshangabad.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
V. N. PANDEY, Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2010

फा.क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब(एक).—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्र. 1-6-89-(इक्कीस)-ब(एक) दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 46-1 तथा उससे तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)	विशेष न्यायालय (3)	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)
"46-2.	श्री जी. एस. सलूजा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनासा.	अतिरिक्त विशेष न्यायालय, मनासा.	पुलिस थाना मनासा, रामपुरा तथा कुकरेश्वर का स्थानी क्षेत्र."

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F.No. 1-6-89-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-6-89-XXI-B(I) dated 3rd April 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette part 1, dated 17th April 1998, namely :—

AMENDMENTS

In the said Notification, in the Schedule, after serial number 46-1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

S.No. (1)	Name and designation of the Judge (2)	Special court (3)	Local area/Session division (4)
"46-2	Shri G. S. Saluja, Additional Sessions Judge, Manasa.	Additional Special Court, Manasa.	Local area of Police Station Manasa, Rampura and Kukreshwar."

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in the Notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

भिण्ड, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

क्र. क्यू-3-एसडब्ल्यू-35-10-15806.—मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक/एफ-2(क)/15/99/बी-3/दो दिनांक 11 अक्टूबर 2004 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 के स. 2) की धारा 2 के खण्ड एस. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नीचे दी गई तालिका के कॉलम नं. (4) में अंकित ग्रामों को कॉलम नं. (3) में अंकित थानों से दूर होने से परिवर्तित कर कॉलम नंबर (5) में अंकित थानों के करीब होने से उनके अधीन एतद्द्वारा सम्मिलित किये जाते हैं :—

तालिका

स.क्रमांक (1)	जिला (2)	पूर्व थानों के नाम (3)	ग्राम के नाम जो पूर्व से सम्मिलित थे (4)	परिवर्तित थाने का नाम जिनकी सीमा में जोड़े गये (5)
1	भिण्ड	देहात भिण्ड	1. गोविन्दनगर 2. आफीसर कॉलोनी 3. वाटरवर्क्स 4. भीम नगर 5. वीरेन्द्र नगर 6. गांधी नगर 7. स्वतंत्र नगर 8. विकास नगर 9. जमुना नगर 10. 17वीं बटालियन पेट्रोल पम्प तक 11. कुशवाह कॉलोनी भदावर कॉलोनी	सिटी कोतवाली सिटी कोतवाली सिटी कोतवाली सिटी कोतवाली सिटी कोतवाली सिटी कोतवाली सिटी कोतवाली सिटी कोतवाली सिटी कोतवाली सिटी कोतवाली सिटी कोतवाली
2	भिण्ड	ऊमरी	1. मुसावली 2. तखत की गढिया	थाना भारौली थाना नयागांव
3	भिण्ड	नयागांव	1. ग्राम ईश्वरी का मजरा डलई का पुरा	थाना ऊमरी
4	भिण्ड	भारौली	1. मढ़ेपुरा 2. कुपावली	थाना अमायन थाना अमायन
5	भिण्ड	बरोही	1. बिछौली 2. ऐतहार 3. कमलपुरा	थाना पावई थाना पावई थाना पावई
6	भिण्ड	सुरपुरा	1. रतनपुरा 2. खेरी 3. जमसारा	थाना अटेर थाना अटेर थाना अटेर
7.	भिण्ड	पावई	1. खरिका 2. निवारी 3. कचनावकलां 4. कचनावखुर्द	थाना अटेर थाना अटेर थाना गोरमी थाना गोरमी
8.	भिण्ड	गोहद	1. जगन्नाथपुरा 2. गिरगवां 3. रतनपुरा 4. खेरिया गजू	चौकी झांकारी थाना मौ थाना मौ थाना मौ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	भिण्ड	मौ	5. मदनपुरा 1. छोटी अंधियारी 2. बड़ी अंधियारी	थाना मेंहगांव थाना अमायन थाना अमायन
10.	भिण्ड	मालनपुर	1. कंचनपुरा 2. मानपुर	थाना एण्डौरी थाना एण्डौरी
11.	भिण्ड	अमायन	1. टीकरी कलां 2. टीकरी खुर्द	थाना बरासों थाना बरासों
12.	भिण्ड	मेंहगांव	1. कतरोल 2. सेंथरी (पड़कौली) 3. रजपुरा	थाना मौ थाना मौ थाना गोहद
13.	भिण्ड	दबोह	1. खजूरी 2. बरौआ 3. बेहटा	चौकी रावतपुरा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2010

क्र. एफ-8-2-रास-यू.ए.-1-08.—यतः कुलाधिपतिजी के आदेश क्रमांक एफ-26-1-रास-यू.ए.-1-07-542, दिनांक 16 अप्रैल 2007 के द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश के द्वारा स्नातक स्तर के विभिन्न विषयों के एकीकृत पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु केन्द्रीय अध्ययन मण्डलों का गठन किया गया है. राज्यपाल के सचिवालय की अधिसूचना एफ-8-2-रास-यू.ए.-1-08-655, दिनांक 5 मई 2008 के द्वारा उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डलों को स्नानकोत्तर स्तर के विभिन्न विषयों के एकीकृत पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया है.

2. केन्द्रीय अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 28 एवं 29 जून 2010 में लिये गये निम्नानुसार निर्णयानुसार 19 विषयों के पाठ्यक्रमों में संशोधन संबंधी अनुशंसाओं को इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-2-रास-यू.ए.-1-08-1272, दिनांक 31 जुलाई 2010 के द्वारा अनुमोदित किया गया है :—

- (1) स्नातकोत्तर स्तर पर तृतीय सेमेस्टर तथा स्नातक स्तर पर पंचम सेमेस्टर में इंटरनिशिप के साथ सैद्धांतिक विषय को जोड़ने एवं चतुर्थ, पंचम तथा षष्ठम सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों को संशोधित करने संबंधी निर्णय.
- (2) सत्र 2011-12 हेतु एकल प्रश्न-पत्र प्रणाली के तहत प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों को प्रस्तावित योजना अनुसार एकीकृत करने संबंधी निर्णय.

3. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 34-क की उपधारा (9) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महामहिम कुलाधिपति के द्वारा अधिसूचना दिनांक 31 जुलाई 2010 के द्वारा अनुमोदित 19 विषयों के पाठ्यक्रमों में से समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं भूगोल विषयों के पाठ्यक्रमों में पुनः संशोधन करने तथा गृह विज्ञान, आधार पाठ्यक्रम एवं भू-गर्भशास्त्र विषयों के पाठ्यक्रमों में संशोधन करने संबंधी केन्द्रीय अध्ययन मंडल की अनुशंसाओं को अनुमोदित किया गया है.

मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के आदेशानुसार,
जी. के. सारस्वत, राज्यपाल के अपर सचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, जिलाध्यक्ष, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 6 अक्टूबर 2010

क्र. 571-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	गाड़ा	1.097	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग, रीवा (म.प्र.)	देवरी बांध के नहर निर्माण कार्य हेतु (सिंचाई एवं निस्तारी).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 572-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	देवरी	0.698	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग रीवा (म.प्र.)	देवरी बांध के नहर निर्माण कार्य हेतु (सिंचाई एवं निस्तारी).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 575-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	छदना खुर्द	0.591	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग रीवा (म.प्र.)	देवरी बांध के नहर निर्माण कार्य हेतु (सिंचाई एवं निस्तारी).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

क्र. -भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये वन आरक्षित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर/एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	बाबई	धामनिया झालौन	13.495 हेक्टेयर/33.36 एकड़ 3.331 हेक्टेयर/8.23 एकड़	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, होशंगाबाद.	वन व्यवस्थापन हेतु.

(2) कुल अर्जनीय क्षेत्रफल 16.826 हेक्टेयर/41.59 एकड़.

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—वन व्यवस्थापन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 14 अक्टूबर 2010

क्र.11825-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इनके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	भोजपुर	12.686	परियोजना प्रबन्धक, म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन.	जयपुर-जबलपुर रोड पर बार्डर चैक पोस्ट निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि का अर्जन.
कुल योग			12.686		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2010

क्र. भू-अर्जन-2010-618.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक (3) से (6) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (8) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने नंबर (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)			प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	शासकीय	निजी	योग	(7)	(8)
शाजापुर	सुसनेर	डोंगरगांव	-	17.65	17.65	म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन.	डोंगरगांव चैक पोस्ट निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 19 अक्टूबर 2010

रा.प्र.क्र. 0-अ-82-09-10-भू.अ.अ.—चूंकि, राज्य शासन को ऐसा प्रतीत होता है, कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	कैलवारा खुर्द प.ह.नं. 29	1.239	आयुक्त, नगर निगम, कटनी.	यू.आई.डी.एस.एस. एम.टी. योजनान्तर्गत बैराज निर्माण हेतु.
		कुल रकबा	1.239		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कटनी, जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

क्र. 03-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	रावरी	5.17	कार्यपालन यंत्री, सिंध नहर परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)	सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) शाखा डी-7 की 15-आर शाखा के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 01-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	सिजौरा	11.48	कार्यपालन यंत्री, सिंध नहर परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)	सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुआर नदी पश्चात्) शाखा डी-7 एवं 9 एल, 8 आर, 9 आर एवं 10 आर शाखा नहरों के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 02-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	कमथरा	1.85	कार्यपालन यंत्री, सिंध नहर परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)	सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुआर नदी पश्चात्) नहर की उपशाखाओं एल.एम.-12 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 04-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	हिनौतिया	7.67	कार्यपालन यंत्री, सिंध नहर परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)	सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुआर नदी पश्चात्) शाखा डी-7 एवं 15 आर माइनर शाखा के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कलेक्टर दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, पूर्व निमाड़ जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 26 अक्टूबर 2010

प्र. क्र. 20-अ-82-2007-2008.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के अन्तर्गत संबंधित भूमिस्वामी द्वारा असहमति देने के कारण भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 48 के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित भूमि को अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहरित किये जाने की घोषणा की जाती है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	धारा 4/6 के अन्तर्गत अर्जन किये जाने वाली भूमि का सर्वे नं. एवं रकबा	धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहरित किये जाने वाली भूमि का सर्वे नं. एवं रकबा	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पूर्व निमाड़ खण्डवा.	हरसूद	पिपलानी	कृषि भूमि सर्वे नं. 112/4, 126/2, 128/3 145/1, 168, 222, 275/1 276/1, 304, 317, 327, 339/1, 382/1, 423/2, 431/2, एवं 457/3 कुल रकबा 3.69 हे.	कृषि भूमि सर्वे नंबर 339/1, रकबा 0.14 हे. तथा सर्वे नं. 382/1, रकबा 1.67 हे. (कुल सर्वे नंबर 2, रकबा 1.81 हे.).	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत पुनर्वास नीति की कंडिका 2.3 के अनुसार शेष बची 25 प्रतिशत भूमि का अर्जन (कृषकों की स्वेच्छा से) करने के कारण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर पूर्व निमाड़ खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा/ कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना एनएचडीसी, खण्डवा क्रमांक 5 में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 3 नवम्बर 2010

क्र. भू-अर्जन-34(अ-82) 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्ति को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	तरेरा ग्राम	30	0.27	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन, लिमि. जबलपुर.	ग्राम तरेरा तहसील डिण्डौरी पर बॉर्डर चैक पोस्ट निर्माण हेतु भू-अर्जन.
		पंचायत	31	0.50		
		रामनगर	32	0.78		
		114/228	34	0.47		
		रा.नि.मं.	35/2	0.60		
		करजिया.	35/3	0.54		
			35/4	0.90		
			35/5	0.42		
			35/6	0.20		
			35/7	0.02		
			35/8	0.07		
			35/9	0.07		
	35/10	0.02				
	35/11	0.04				
		योग . .	4.90			
	शासकीय भूमि नाला	33	0.52			
		योग . .	0.52			

नोट.—भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 3 नवम्बर 2010

क्र. 1255-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन का यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पुरवा कोठार	6.850	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म.प्र.)	सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सब माइनर नहर की 6.850 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1257-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन का यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	डिहिया	0.164	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म.प्र.)	सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सब माइनर नहर की 0.164 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1260-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन का यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	भड़रहा कोठार	4.032	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म.प्र.)	क्योटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरक नहर की 4.032 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 3 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 013-अ-82-वर्ष 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	रैपुरा	निजी 38.20 एवं शासकीय भूमि रकबा 11.00 कुल रकबा 49.20	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	कोहाडोल तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 014-अ-82-वर्ष 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	ऊंचा	निजी 54.37 एवं शासकीय भूमि रकबा 15.66 कुल रकबा 70.03	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	नादन तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य.

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन, यंत्री जल संसाधन, संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 015-अ-82-वर्ष 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	रैगुवां	निजी 22.86 एवं शासकीय भूमि रकबा 25.98 कुल रकबा 48.84	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	गिटपिटा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य.

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 016-अ-82-वर्ष 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा

सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	पटना	निजी 2.50 एवं शासकीय भूमि रकबा 2.00 कुल रकबा 4.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	गिटपिटा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य.

नोट:-भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 नवम्बर 2010

क्र. 9457-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894	अर्जित की जाने वाली
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में.)	की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	हरई	ग्राम-बसुरियाकला ब.नं.-53 प.ह.नं.-21 रा.नि.मं.-हरई	0.465 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	मुर्गीटोला जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग-अमरवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 9458-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में.)	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	हरई	ग्राम-बसुरियाखुर्द ब.नं.-52 प.ह.नं.-25 रा.नि.मं.-हरई	05.679 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	मुर्गीटोला जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(2)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग-अमरवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2010

क्र. 22-अ-82-भू-अर्जन-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	छतरपुर	ईशानगर	51.370	अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.)	रजिया तालाब, योजना के भराव क्षेत्र हेतु.

क्र. 23-अ-82-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	छतरपुर	हिलगुवां	48.044	अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.)	रजिया तालाब योजना के भराव क्षेत्र हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 12 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 5-अ-82-2008-2009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ तालुका	नगर/ ग्राम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रायसेन	उदयपुरा	बरखंदा	27	2.093	0.23	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग रायसेन.	बरखंदा जलाशय की नहर.
			73	0.971	0.12		
			75	1.028	0.10		
			69	1.623	0.171		
			70	2.237	0.113		
			67	1.137	0.09		
			39	0.190	0.02		
			37	0.837	0.126		
			41/2	0.210	0.09		
			40	0.502	0.113		
			61	1.590	0.18		
			62/2	0.809	0.171		
			59	1.995	0.203		
			258	1.558	0.234		
			259	0.575	0.032		
			274	0.785	0.18		
			275	1.165	0.02		
			276	0.845	0.126		
			284/2	1.263	0.27		
			284/1	1.262	0.054		
			283	1.008	0.239		
			294	0.789	0.068		
			296/1	0.870	0.027		
			296/2	1.667	0.284		
			308	2.699	0.257		
			309/1	2.076	0.153		
			303	1.769	0.106		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		पड़रई	52	0.255	0.072		
			54/1	1.934	0.099		
			47/2	1.214	0.185		
			47/1	0.814	0.059		
			46/1	1.011	0.072		
			56	0.251	0.036		
			64/1	1.214	0.135		
			64/2	1.068	0.104		
			65/3	1.619	0.27		
			65/2/1	0.809	0.166		
			66	6.244	0.248		
		बरखंदा	257	1.554	0.104		
			238	0.401	0.059		
			241/1	0.405	0.054		
			240/1	0.308	0.036		
			242/1	0.202	0.032		
			243/2/2	0.164	0.027		
			243/1/2	0.428	0.099		
			244	0.854	0.081		
			245	0.899	0.027		
			220/1	2.023	0.225		
			218	0.139	0.045		
		समनापुर	13/2	1.391	0.135		
			13/1	1.396	0.015		
				योग	<u>6.164</u>		
		शासकीय बरखंदा	74	0.854	0.09		
			76	0.101	0.02		
			66	0.291	0.02		
			272	2.058	0.02		
			306	0.028	0.02		
		पड़रई	55	0.134	0.02		
			60	0.469	0.02		
		समनापुर	12	0.170	0.17		
			14	0.303	0.303		
			15/1	0.200	0.200		

नोट.—भूमि का नक्शा एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बरेली, जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

- (ख) तहसील—बुदनी
(ग) नगर/ग्राम—पहाड़खेडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.067 हेक्टर.

सीहोर, दिनांक 20 अगस्त 2010

प्र. क्र. 22-अ 82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—बुदनी
(ग) नगर/ग्राम—नीनोर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.344 हेक्टर.

खसरा नम्बर (में से)	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
140, 141, 142, 143, 144	0.162
760/142	0.020
773/144	0.162
योग . .	0.344

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बांया-जहाजपुरा मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बुदनी में किया जा सकता है.

सीहोर, दिनांक 4 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 8-अ 82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सीहोर

खसरा नम्बर (में से)	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
123/2	0.792
124/5	0.047
124/4	0.134
124/6	0.384
126/1	0.190
124/7	0.016
127/128/2	0.249
144/1	0.217
144/2	0.060
145/1	0.202
142/3	0.245
149/1	0.269
149/2	0.316
149/4	0.126
160/150	0.435
151	0.069
142/1	0.316
योग . .	4.067

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बनेटा मध्यम उद्वहन सिंचाई योजना की वितरिका नहर हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बुदनी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 9-अ 82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—बुदनी

(ग) नगर/ग्राम—उकई

(ग) नगर/ग्राम—शाहगंज

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.908 हेक्टर.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.834 हेक्टर.

खसरा नम्बर (में से) (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)	खसरा नम्बर (में से) (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
84/1	0.121	182	0.059
84/2	0.121	183, 919/183	0.504
77/6	0.024	191/2	0.275
77/7	0.205	206/11	0.243
91	0.182	206/8	0.352
134, 135, 136	0.095	206/7	0.081
92/1	0.380	206/9	0.571
133	0.538	220/2	0.036
132	0.047	247, 248, 249, 944,/248/2	0.212
124	0.040	247, 248, 249, 944,/248/1	0.182
125	0.016	296, 305/1	0.170
116	0.040	297/2ख	0.203
113, 118/2	0.095	297/2क	0.182
114	0.253	297/1	0.021
113, 118/2	0.063	297/3	0.249
199/112	0.071	302/4	0.075
110/1	0.174	302/1	0.282
112	0.087	302/2	0.187
110/2	0.356	389/1	0.121
	योग . . 2.908	387	0.194
		386/2	0.176
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बनेटा मध्यम उद्वहन सिंचाई योजना की वितरिका नहर हेतु निजी भूमि का अर्जन.		381/2	0.157
		382	0.016
		934/382	0.008
		334/4	0.051
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बुदनी में किया जा सकता है.		334/6	0.051
		383	0.176
		योग . . 4.834	

प्र. क्र. 10-अ 82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—बुदनी

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बनेटा मध्यम उद्वहन सिंचाई योजना की वितरिका नहर हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बुदनी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ 82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—बुदनी
(ग) नगर/ग्राम—अकोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.465 हेक्टर.

खसरा नम्बर (में से) (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
503	0.166
504/2	0.082
505/3	0.427
506/1/1	0.162
506/2	0.039
457, 458/3/2	0.101
457, 458/3/3	0.097
442/15	0.040
443/1	0.101
443/2	0.125
443/3	0.125
442/4	0.161
442/5	0.079
445/2	0.060
441/5	0.117
441/2	0.072
439/1	0.285
438/2	0.226
योग . .	<u>2.465</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बनेटा मध्यम उद्वहन सिंचाई योजना की वितरिका नहर हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बुदनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

प्र. क्र. 6-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि इमलिया सिंगपुर तालाब निर्माण किये जाने हेतु जल संसाधन विभाग के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रायसेन
(ख) तहसील—गौहरगंज
(ग) ग्राम—इमलिया सिंगपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल —18.07 एकड़.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (एकड़ में) (2)	अर्जित रकबा (एकड़ में) (3)
(1)	(2)	(3)
115/2	4.00	0.80
119/3	2.50	0.75
119/4	0.65	0.30
118/4	2.50	0.08
योग . .	<u>9.65</u>	<u>1.93</u>
119/7	4.00	0.20
120	4.95	4.95
121	0.90	0.90
122	1.00	1.00
123	2.50	2.50
125	3.25	3.25
124	2.18	2.18
126	1.00	1.00
119/6	7.26	0.16
योग . .	<u>27.04</u>	<u>16.14</u>
महायोग . .	<u>36.69</u>	<u>18.07</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—सिंगपुर इमलिया तालाब एवं स्पल चैनल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 30 अक्टूबर 2010

क्र. 47-08-09-अ-82-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—करैरा

(ग) नगर/ग्राम—दांगीपुरा

(घ) कुल लगभग क्षेत्रफल—11.31 हेक्टर.

मकान—2 (दो)

कुआ—1 (एक)

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
23	2.00
100	0.30
542	1.79
546	1.93
548	1.60
549	2.07
617	1.62
योग . .	<u>11.31</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मड़ीखेडा बांध के डूब क्षेत्र के अन्तर्गत आने के कारण अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 2 नवम्बर 2010

क्र. एफ. 155-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—नागौद

(ग) नगर/ग्राम—सितपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.070 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
727/1 में से	0.070
योग . .	<u>0.070</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इण्डिया के विस्तार हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 3 नवम्बर 2010

क्र. 1262-प्रका-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उन पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

(1)	(2)	(3)
217	0.842	0.024
222	3.453	0.935
224	0.214	0.149
योग . .	13.409	4.564

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

म. प्र. शासन

(क) जिला—रीवा	145	0.040	0.028
(ख) तहसील—सिरमौर	162	0.409	0.028
(ग) ग्राम—कवरा कोठार			
(घ) क्षेत्रफल लगभग—4.62 हेक्टर.	कुल . .	0.449	0.056

खसरा नम्बर (1)	कुल रकबा (हे. में) (2)	अर्जित रकबा (हे. में) (3)
74	0.178	0.051
75	0.368	0.101
76	0.072	0.154
77	0.364	0.154
78	0.352	0.154
79	0.352	0.080
80	0.413	0.280
95	0.579	0.341
96	0.085	0.029
97	0.454	0.280
98	0.648	0.243
99	0.069	0.069
100	0.352	0.016
126	0.417	0.140
128	0.332	0.210
129	0.101	0.072
130	0.125	0.024
142	0.211	0.056
144	0.243	0.112
146	0.126	0.058
148	0.456	0.140
149	0.259	0.032
152	0.032	0.030
153	0.097	0.097
154	0.097	0.040
157	0.830	0.043
158	0.202	0.146
159	0.202	0.077
160	0.166	0.099
164	0.109	0.109
165	0.081	0.016
216	0.528	0.003

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी शाखा नहर निर्माण में आने वाले निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 नवम्बर 2010

क्र. 9447-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। चूंकि प्रकरण भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 (1) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते हैं।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा	
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा	
(ग) नगर/ग्राम—खैरीलदरू, प.ह.नं. 32, ब.नं. 118, रा.नि.मंडल-छिन्दवाड़ा-1.	

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—183.003 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.		(1)	(2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)		
		37/1	0.113
		37/2	0.242
		39	0.295
		151/2	0.353
		152	0.380
		73/1	0.971
76	3.666	73/2	0.239
264	0.716	78/1	0.709
263	0.090	78/8	0.291
1	0.129	78/4	0.709
2	0.753	78/7	0.121
4/1	1.619	79	1.558
4/2	0.486	82/1	0.890
4/9	0.405	82/2	0.405
4/3	0.809	83	1.263
4/4	0.142	129	1.883
4/5	0.061	130	0.150
4/6	0.303	133	0.283
8	0.690	134	1.457
91	0.474	135	0.081
92/2	0.230	241	0.040
111	0.287	84	1.173
113	0.194	136	0.198
115	0.219	137	1.598
117	0.081	138	0.405
118/2	0.199	157	0.506
118/3	0.199	158	0.510
118/4	0.201	85	1.092
118/5	0.202	122	0.429
118/6	0.202	131/2	0.162
118/7	0.200	132/2	0.364
119/2	0.809	87/1	0.445
120	0.194	87/2	0.170
121	1.015	90/2	0.405
4/7	0.303	90/3	0.230
4/8	0.061	88/1	0.195
30	1.708	88/2	0.445
31	0.344	89	2.375
32	0.332	99	1.639
78/2	0.708	102	0.579
78/5	0.230	105	0.364
80	1.461	106/2	1.850
33	0.352	161	1.979
34	0.369	90/1	0.486
36	1.140		

(1)	(2)	(1)	(2)
100/1	0.628	38	0.081
94/1	2.326	45	0.060
95/1	0.388	171	0.381
98/1	0.451	172/2	2.833
101	0.983	173	1.619
106/1	1.849	149	0.510
108	0.089	150	0.388
109	0.704	151/1	0.352
110	1.133	156/1	0.336
98/2	0.617	227/1	0.074
103	0.194	156/2	0.170
104	0.214	227/2	0.153
100/2	0.809	159	1.084
107/2	1.214	160/1	0.153
107/1	1.284	160/3	0.769
118/1	0.401	160/4	0.244
119/1	0.179	160/5	0.202
119/3	0.534	166	0.987
92/1	0.507	167	1.619
93	0.567	194/1	2.533
123	0.445	168	0.430
242	0.050	169	0.049
124/1	0.764	170	0.806
124/2	0.764	174	0.324
125/2	0.445	180/2	0.696
160/2	0.809	172/1	2.833
124/3	0.763	179	0.040
125/3	0.449	175	1.736
125/1	0.445	176	1.457
126	0.898	178	0.607
127	1.437	198/1	1.408
141	0.089	180/1	1.740
142	0.093	181	1.619
143	0.008	182/1	1.128
128/1	1.290	185/1	2.457
128/2	1.291	185/4	0.243
128/3	1.290	182/2	0.377
128/4	1.291	185/2	0.405
131/1	0.162	185/3	0.497
132/1	0.769	183/1	0.554
132/3	0.405	186/1	1.631
155	0.510	183/2	0.162
240	0.080	186/2	0.445
72	0.648	183/3	0.145

(1)	(2)	(1)	(2)
186/3	0.376	213	0.690
183/4	0.113	224	0.300
186/4	0.405	225	1.360
183/5	0.129	229	0.180
186/5	0.405	230	0.130
188/1	2.518	226	2.290
188/2	1.275	228	0.160
188/3	0.194	269/1	0.350
188/4	1.056	269/2	0.880
190	1.676	7/1	0.480
191	1.335	7/2	0.935
201/2	0.648	35	0.570
231	0.170	78/3	0.709
192	1.198	78/6	0.186
193/3	1.023	197/1	1.724
195/1	0.769	197/2	1.727
204	1.050	81	1.509
193/1	1.113	94/2	2.513
162/1	0.809	95/2	0.195
162/2	0.450	95/3	0.190
193/2	1.108	139/1	3.381
196	1.396	139/2	3.399
203	0.670	योग . .	<u>183.003</u>
195/2	0.708		
199	2.821	(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अर्जन.
198/2	1.409		
266	1.279		
200	4.072		
265/1	0.594		
201/1	0.520	(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
194/2	0.648		
194/3	0.858		
194/4	0.653		
194/5	0.321		
194/6	0.321	(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
202	0.960		
206/1	0.793		
205/1	0.870		
206/2	0.769		
205/2	0.571	(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक 4, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
206/3	0.769		
207/1	1.109		
207/2	0.546		
212	0.450		

क्र. 9448-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 (1) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते हैं :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
 (ग) नगर/ग्राम—नगझिर, प.ह.नं. 27, ब.नं. 285,
 रा.नि.मंडल-छिन्दवाड़ा-1.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—11.980 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
98	0.180
169	1.598
99/1	0.350
101	0.283
107/2	1.878
106	0.360
108	0.348
110/1	0.050
166	0.045
167	0.681
168	0.166
182/1	1.202
182/2	0.256
183	0.066
188	0.100
189	1.396
190/1, 191/1	1.117
190/2, 191/2	1.118
107/1	0.390
110/2	0.396
योग . .	11.980

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अर्जन.
 (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
 (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
 (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक 4, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 9449-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 (1) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते हैं :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
 (ग) नगर/ग्राम—बिल्बा, प.ह.नं. 31, ब.नं. 391,
 रा.नि.मंडल-छिन्दवाड़ा-1.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—32.572 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
3/1	0.311
3/2	0.308

(1)	(2)
3/3	0.405
4/3	0.069
4/1	0.473
1	1.388
4/2	0.530
5	1.064
6/1	0.972
6/2	0.809
6/4	0.105
6/3	0.704
7/1	1.145
11/2	1.517
17/1	0.075
7/2	1.145
11/1	1.518
17/2	0.050
157/1	0.200
12	5.716
13	0.567
20	3.400
19	0.800
14	1.189
57/1	0.777
58/2	1.481
58/3	1.481
57/2	0.697
58/4	1.482
58/1	1.482
16	0.264
60/1	0.024
8/1	0.050
8/2	0.050
7/3	0.324
योग . .	<u>32.572</u>

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक 4, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 9450-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 (1) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते हैं :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—अमरवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—खकरा चौरई, प.ह.नं. 40, ब.नं. 94, रा.नि.मंडल-अमरवाड़ा-2.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—06.550 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
659, 660, 661	0.405
758/1	0.400
758/2	0.200
790/2	0.370
793/2, 794, 795/2	0.050
790/3	0.075
799	0.480
798	1.501
801, 802, 803	3.069
योग . .	<u>06.550</u>

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अर्जन.	(1)	(2)
	2/3	1.169
	2/2	0.270
	3/1	0.430
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.	3/2	1.031
	9/2	0.210
	9/6	0.409
	7/1	1.486
	9/7	0.202
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.		योग . . 07.088
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.		

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रीछननाला जलाशय योजना के बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 9451-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 (1) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते हैं :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—अमरवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम—तेन्दनीरैयत, प.ह.नं. 35, ब.नं. 23, रा.नि.मंडल-अमरवाड़ा.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—07.088 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
1	0.945
2/1	0.936

क्र. 9452-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 (1) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते हैं :-

अनुसूची	
(1) भूमि का वर्णन—	
(क) जिला—छिन्दवाड़ा	
(ख) तहसील—अमरवाड़ा	

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)	(1)	(2)
(ग) नगर/ग्राम—चिमौआ, प.ह.नं. 35, ब.नं. 88, रा.नि.मंडल-अमरवाड़ा.		13/1	1.497
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—62.226 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.		23/5	0.587
		29	0.057
		116	0.015
		26/1	0.089
		154/2	1.214
		155/3	0.090
		155/1	0.651
2/1	0.480	164, 165/1	0.561
2/2	0.938	148/1, 149, 151/3	2.848
2/3	0.810	114	0.020
2/4	0.489	143	0.773
3/1	1.428	144	0.138
3/2	1.443	145	0.421
132/2	0.025	158	0.089
132/3	0.025	115/1	0.015
3/3	1.000	165/3	0.571
3/4	0.823	166/1	0.574
4/1	0.100	137	0.020
4/3	0.502	138/2	0.018
4/5	0.170	132/1	0.020
4/2	0.259	155/2	0.390
5	1.740	13/2	0.526
6/2	0.506	13/4	1.173
7	0.737	19	0.136
8/1	0.271	21/1	0.170
10/3	0.162	175/8	0.090
10/9	0.032	175/9, 178/5	0.090
10/10	0.081	175/7	0.135
10/11	0.162	173/1	0.178
10/12	0.040	175/5	0.090
10/2	0.405	175/1	0.262
100/2	0.190	111/1	0.015
108	0.368	162/2	0.235
141	2.849	135/1	0.015
142	0.101	152/4, 153/3	0.089
13/3	1.890	154/1	0.607
14/1	0.135	23/7	0.202
15/2	0.100	23/6	0.405
15/3	0.142	14/2	0.124
21/2	0.708	15/4	0.021
23/4	2.583	15/5	0.060
117/1	0.020	117/2	0.005
140/3	0.120	140/4	0.020
140/1	0.211	146	1.995

(1)	(2)
150/2	0.105
112	0.020
169/6, 171/4	1.225
40	1.854
38	1.250
41	1.368
36	1.987
135/2, 136	0.028
8/2	0.692
9	0.611
10/6	0.081
10/7	0.243
10/8	0.287
111/2	0.020
42	2.438
43/1, 43/2	0.098
138/1	0.020
168, 169/1, 170, 171/1	1.985
10/4	0.202
11	0.741
30	0.902
31	0.530
76/1, 98	0.080
99	0.279
100/1	0.049
100/3	0.065
139	0.020
32/1	1.242
32/2	0.364
33	0.943
34	0.089
35	0.243
175/3, 178/3	0.945
175/6, 178/2	0.090
175/10, 177/1	0.098
169/2, 180/2	0.548
169/3, 171/2	1.138
योग . . .	<u>62.226</u>

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रीछननाला जलाशय योजना के बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 9453-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 (1) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—अमरवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—महेन्द्रवाड़ा, प.ह.नं. 40, ब.नं. 226, रा.नि.मंडल-अमरवाड़ा-2.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—02.138 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
8/2	0.200
8/1	0.200
5/1, 5/2	0.230
5/3, 6, 8/3	0.760
3	0.384
13/2	0.075

(1)	(2)	(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—14.946 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
		प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
		प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
24	0.049	
29, 30	0.040	
26	0.050	
31	0.150	
योग . .	<u>02.138</u>	
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अर्जन.		277/1 0.622 278/1 0.053 279/1 0.077 277/2 0.466 277/3 0.417
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.		250/3 0.225 277/4 0.041 278/2 0.036 279/2 0.036
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.		285/1 0.225 281/1 0.204 282/1 0.200 281/2 0.205 282/2 0.327
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.		283 0.957 284/2 0.287 284/1 0.130 285/2 0.501 285/6 0.159 286/1 1.013 285/3 0.348 285/4 0.028 285/5 0.311 285/7 0.041 286/3 0.220 286/2 0.250 250/1 0.065 251/4, 252/19 0.480 251/10, 252/18 0.543 252/4 0.150 327/13 0.041 328 0.713
क्र. 9454-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 (1) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते हैं :-		
अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन—		327/4 0.121 327/3 0.113
(क) जिला—छिन्दवाड़ा		327/6 0.032
(ख) तहसील—अमरवाड़ा		327/5 0.024
(ग) नगर/ग्राम—बान्द्रा, प.ह.नं. 200, ब.नं. 42, रा.नि.मंडल-अमरवाड़ा-2.		721 0.300 722 0.150 329/2 0.036

अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 (1) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
 (ग) नगर/ग्राम—देवर्धा, प.ह.नं. 28, ब. नं. 273,
 रा.नि.मंडल-छिन्दवाड़ा-1.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—161.522 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(1)	(2)	प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
329/3	0.037	30/1	0.048
329/4	0.037	93/3	0.217
723/1	0.507	30/3	0.093
723/2	0.761	24	0.150
725	0.065	25/3	0.405
727	0.190	26/3	0.121
726/1	0.412	391/10	0.202
728	0.180	117	0.599
726/2	0.475	118	0.894
726/3	0.525	26/2	0.121
732	0.200	28/4	1.011
744	0.900	32/1	0.060
746	0.110	32/4	0.050
748/1, 749/1, 750/1	0.300	516/1	0.657
748/2, 749/2, 750/2	0.100	135/3	0.002
योग . .	14.946	386	0.243
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अर्जन.		389/2	0.520
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.		378/5	0.095
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.		381/8	0.036
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.		381/2	0.182
क्र. 9455-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की		381/7	0.078
		382/2	0.655
		85/1	0.506
		86/1	0.506
		96/1	0.093
		97	0.162
		98	0.202
		102	0.789

(1)	(2)	(1)	(2)
106/5	0.105	210/1	0.080
103/1	0.421	211/2	0.165
105	0.049	213	0.080
106/1	0.109	91/2	1.283
107	0.061	220/1	0.263
108/3	0.466	25/1	0.205
109	0.764	26/1	0.121
65/2	0.127	30/2	0.093
65/3	0.264	32/2	0.133
65/4	0.462	90	0.563
65/5	0.202	111	2.549
65/6	0.405	112	0.364
504	0.305	119	0.587
70/3-4	0.798	123/2	0.709
127	0.061	223	0.097
130	0.768	66/4	0.646
133	0.162	66/5	1.052
134	0.405	66/8	0.162
384/1	0.273	66/10	0.246
113	0.283	381/4	0.239
121	0.607	381/3	0.665
123/1	0.886	383/2	0.004
123/3	0.890	205/2	0.415
125	0.445	91/1	0.640
138	1.457	93/1	0.409
139/2	0.774	203	0.370
378/1	0.320	205/1	0.809
63/3	0.222	205/3	0.813
227/1	0.101	226/1	0.081
235	0.575	372/1	0.357
238/1	0.579	140/2	0.040
239	0.113	140/7	0.095
508	1.169	141/2	0.135
115/1	0.142	145/2	0.126
122/1	0.385	64/2	0.130
123/4	0.578	106/4	0.105
126/1	0.247	68/1	0.886
136/1	0.255	67/2	0.138
137/1	0.562	103/2	0.214
139/1	0.235	104/1	0.012
201/2	0.651	80/2	0.324
222/1	0.117	140/6	0.416
368/1	0.090	513/2	0.809
370	0.955	33/4	0.600
		33/6	0.898

(1)	(2)	(1)	(2)
140/5	0.398	87/4	0.405
141/4	0.162	108/2	0.234
228/2	0.065	99/2	0.486
81/2	0.013	108/1	0.235
15/1	0.069	110/2	0.243
500/1	1.146	96/3	0.048
509/1	0.250	129/1	0.717
391/8	0.202	129/2	0.717
72/2	0.334	15/2	0.073
83	0.049	499/2	0.648
140/4	0.121	500/2	0.854
141/1	0.405	87/3	0.405
510/2	0.160	221	0.223
174/1	0.506	201/1	0.655
373	2.481	74	0.121
144/2	0.105	236	0.158
142/2	0.028	44	0.012
509/3	0.773	238/2	0.291
509/5	0.202	227/2	0.223
59/2	0.130	220/2	0.263
204/1	1.663	208/1	0.025
72/3	0.336	219/2	0.152
72/4	0.334	92	0.142
25/2	0.405	89	0.825
80/1	0.324	93/2	0.409
81/1	0.380	94	0.283
140/1	0.813	106/2	0.105
141/3	0.162	28/1	0.586
228/1	0.064	45/3	0.007
229/1	0.550	28/7	0.589
230	0.283	29/1	0.931
135/1	3.226	148/2	0.062
383/1	0.259	231/3	0.121
88/2	0.202	234/3	0.108
81/3	0.392	61/2	0.100
145/1	0.110	70/1-2	0.798
229/3	0.809	72/1	0.502
64/1	0.330	388/2	0.162
389/1	1.463	387	0.332
135/2	0.002	393/2	0.085
385	0.352	15/3	0.073
393/1	0.100	500/3	0.506
394/1	0.170	499/1	0.689
87/2	0.530	391/9	0.202
		509/2	0.829

(1)	(2)	(1)	(2)
509/6	1.410	28/3	1.430
512/1	0.205	28/6	0.305
515	1.165	29/2	0.789
516/2	0.658	28/2	1.376
484	0.040	28/5	0.365
514/2	0.405	27	0.534
481/2, 482/2	0.304	20/2	2.601
480/3	0.680	18/3	0.800
517/1	1.044	20/1	0.678
517/2	1.048	17/1	0.271
394/2	0.090	18/1	0.650
87/1	0.530	20/3	0.530
96/2	0.045	18/4	1.047
99/1	0.486	20/4	0.300
110/1	0.243	78/2	0.454
114	0.320	78/3	0.373
120	0.620	78/5	0.134
124	0.647	78/6	0.121
128	0.142	78/7	0.202
368/2	0.500	78/8	0.405
115/2	0.141	78/9	0.443
122/2	0.384	78/10	0.429
123/5	0.578	78/11	0.421
126/2	0.247	78/12	0.534
136/2	0.251	374	0.081
137/2	0.563	16	0.174
139/3	0.235	17/2	0.101
222/2	0.118	18/2	1.215
368/3	1.364	20/5	0.125
67/1	0.142	171	0.040
68/2	0.862	172	0.427
103/3	0.210	198	0.729
104/2	0.016	224	0.352
106/3	0.097	225	0.202
140/3	0.173	62/2	0.150
85/2	0.344	147/2	0.070
86/2	0.365	232/2	0.200
100	0.133	233	0.324
101	0.113	237	0.158
95/1	0.243	208/3	0.031
95/3	0.615	226/3	0.081
88/1	0.505	208/2	0.134
30/4	0.049	226/2	0.077
93/4	0.200	45/1	0.007
		61/1	0.083

(1)	(2)	(1)	(2)
148/1	0.080	65/7	0.128
231/1	0.122	65/8	0.264
234/1	0.108	65/9	0.460
45/2	0.008	65/10	0.203
231/2	0.121	65/11	0.404
234/2	0.108	229/5-9	0.313
142/1	0.032	384/2	0.061
206	1.205	392	0.110
204/2	0.405	95/2	0.243
202	0.830	95/4	0.615
75	1.665	229/7-10	0.313
76	0.324	229/2-6	0.313
79	0.656	229/4-8	0.315
82	0.789	509/7	0.907
73	1.853	58	0.070
74	0.121	59/1	0.030
66/9	0.576	60	0.150
69/1	0.890	480/4	0.352
69/2	0.886	513/1	0.135
78/1	0.729	209/1	0.123
78/4	0.202	217/2	0.020
78/13	0.599	150	0.125
78/14	0.267	210/2	0.100
199	0.940	211/1	0.230
173	0.372	218	0.097
197	0.710	219/1	0.122
232/1	0.210	381/1	0.131
66/6	0.485	381/5	0.172
144/1	0.105	381/6	0.082
149/1	1.930	382/1	0.454
146	0.180	200/1	0.520
63/1	0.105	200/2	0.523
62/1	0.185	217/1	0.120
147/1	0.070	499/3	0.603
47	0.605	378/2	0.052
52	0.344	140/8	0.040
48/1	0.145	140/9	0.095
46/1	0.077	141/15	0.135
46/2	0.073	140/10	0.040
65/1	0.021	140/11	0.095
66/1	1.456	141/6	0.135
66/3	0.567	372/2	0.470
66/2	0.563	372/3	0.430
51/2	0.085	391/1	0.971
66/7	0.072	391/3	0.078

(1)	(2)
391/7	0.162
512/2	0.809
514/1	0.809
512/3	0.809
514/3	0.809
509/4	0.516
509/9	0.263
509/11	0.293
509/13	0.324
509/8	0.517
509/10	0.263
509/12	0.293
509/14	0.324
88/3	0.203
149/2	0.057
174/2	0.081
14/1	0.020
209/2	0.100
योग . .	<u>161.522</u>

के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 (1) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते हैं :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-राजाखोह, प.ह.नं. 27, ब.नं. 503, रा.नि.मंडल-छिन्दवाड़ा-1.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—31.266 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
---------------------------------	--

239/1	0.462
239/2	0.410
241/1	0.500
241/2	0.520
363	0.352
383/4	0.284
383/1	0.080
384/1	0.100
383/2	0.405
384/2	0.080
385/1	0.295
383/3	0.500
383/5	0.284
385/2	0.296
395/5	0.081
397/1	0.060
397/2	0.218
401/1	0.963
401/3	0.121
403/1	0.121
401/2	0.429
402/1	0.162
396/5	0.202
401/4	0.202
403/2	0.850
403/3	0.405

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक-4, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 9456-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6

(1)	(2)	(1)	(2)
401/5	0.429	502/7	0.258
402/2	0.162	502/10	0.162
396/6	0.404	502/12	0.160
404/1	1.032	497/4	0.117
404/2	0.950	498/4	0.050
405/1	0.053	502/5	0.465
406/1	0.326	497/6	0.119
407/1	0.740	397/3	0.170
405/2	0.052	502/6	0.607
406/2	0.326	498/3	0.020
407/2	0.640	502/1	0.368
453/1	0.202	502/2	0.214
453/2	0.639	502/4	0.325
453/3	0.525	502/8	0.648
455/1	0.162	502/11	0.620
455/5	0.202	503	0.340
456	0.239	464/1	0.061
455/2	0.324	483	0.430
455/3	0.170	411/3	0.284
458/1	0.210	454/3	0.090
459/1	0.150	454/1	0.090
458/2	0.110	237/1	0.405
459/2	0.230	502/13	0.369
465/1	0.140		योग . . . 31.266
465/2	0.284		
465/3	0.010		
468	0.142		
469	0.594		
484/1	0.617		
484/2	0.259		
486	0.140		
492/2	0.446		
485	0.210		
493	1.574		
494	0.607		
492/1	0.790		
492/5	0.020		
496	0.547		
492/3	0.100		
497/1	0.348		
497/3	0.331		
497/5	0.129		
498/1	0.024		
497/2	0.197		
502/3	0.726		

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक 4, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 45-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार
(ग) ग्राम—उदयपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.088 हेक्टर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
657	0.301
658	0.100
659	0.355
660	0.007
661	0.016
666	0.035
667	0.115
668	0.128
669	0.189
670	0.105
688/1	0.071
689/1	0.065
691	0.221
692	0.170
702/693	0.115
704/693	0.095
योग . .	<u>2.088</u>

- (2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की सिमरिया वितरक नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौडी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 46-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार
(ग) ग्राम—नाहरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.822 हेक्टर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1237	0.080
1262	0.010
1263	0.050
1264	0.175
1295	0.035
1297	0.188
1316	0.135
1317	0.064
1318	0.181
1323	0.160
1324/2	0.019
1325	0.129
1328	0.084
1329	0.150
1330	0.085
1331	0.150
1296	0.127
योग . .	<u>1.822</u>

- (2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की सिमरिया वितरक नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 57-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार
(ग) ग्राम—भानपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.144 हेक्टर (निजी भूमि).

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
674	0.102
695/1	0.042
योग . .	<u>0.144</u>

- (2) बरियारपुर बांयी नहर में उमराहा शाखा की रावपुर माइनर एवं लोधिपुर माइनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौड़ी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 10 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 3-अ-82-09-10-क्र. 8842-भूमिसंपादन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

- (क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—खाचरौद
(ग) नगर/ग्राम—बेडावन्वा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.83 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
103/1	0.52
105/1	0.05
105/2	0.09
262/1	0.11
261/2	0.23
131/1	0.02
132	0.03
131/2	0.04
131/3	0.06
131/4	0.20
241	0.10
242	0.02
246	0.02
247	0.04
216/1262	0.03
1145	0.32
1148	0.20
253	0.01
254/1	0.01
226	0.02
225	0.05
223	0.08
257	0.01
224	0.12
258	0.01
230	0.13
229	0.04
227	0.10
231	0.03
218	0.02
216	0.10
228	0.05
221	0.01
222	0.02
213	0.12

(1)	(2)	(1)	(2)
189/1	0.01	1176	0.05
191	0.19	1168	0.02
1152/1	0.17	1152/2	0.17
190/2	0.08		योग . . . 11.83
197	0.02		
198	0.02	(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—उज्जैन-उन्हेल-नागदा- घिनोदा-जावरा टू-लेन (बी.ओ.टी) सड़क निर्माण हेतु.	
205	0.11	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड खाचरौद के कार्यालय में किया जा सकता है.	
199	0.17		
204	0.22		
206	0.06		
207	0.45		
180	0.06		
176	0.50		
177	0.10		
172	0.36		
170	0.10		
436	0.22		
435	0.18		
429	0.08		
431	0.20		
432	0.50		
439	0.21		
430	0.01		
421/1	0.01		
421/2	0.01		
441	0.14		
548	0.18		
549	0.04		
550	0.09		
554	1.06		
612/1	0.07		
555	0.24		
556	0.06		
557	0.28		
611	0.07		
606/2	0.20		
608	0.08		
609	0.06		
610	0.01		
1044	0.40		
1053/1	0.27		
602	0.07		
603	0.06		
1114/1	0.25		
1115/2	0.05		
1113	0.21		
1117/2	0.09		
1149	0.20		
1150	0.01		
1151	0.05		
1153	0.21		
1154	0.06		
1175	0.03		

प्र. क्र. 3-अ-82-09-10-क्र. 8843-भूमिसंपादन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—खाचरौद
(ग) नगर/ग्राम—लेकोडियाटांक
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.33 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
111	0.09
115	0.16
116	0.40
121	0.04
244	0.30
249/2	0.12
122	0.20
146	0.10
145	0.10
158	0.06
159	0.11
160	0.21
181	0.03
182	0.15
185	0.06
178	0.20

(1)	(2)	(ग) नगर/ग्राम—बिरयिाखेडी	(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.57 हेक्टर.
		सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
		(1)	(2)
179	0.02		
180	0.12		
183	0.06		
192/2	0.07		
187	0.11		
188	0.13		
192/1	0.03	2	0.20
194	0.17	319	0.04
196	0.02	3/1	0.08
201	0.07	4/1	0.03
202	0.07	3/3	0.05
203/1	0.15	4/2	0.10
203/2	0.10	5	0.07
203/3	0.10	7	0.05
209	0.40	16	0.02
210	0.02	25/4	0.05
230	1.05	19	0.02
231/852/1	0.03	20/1	0.02
259/1	0.05	25/1	0.09
259/2	0.11	20/2	0.25
248/1	0.52	21	0.11
251	0.09	22	0.02
252	0.43	23	0.05
257/1	0.02	24	0.11
258	0.80	25/2	0.21
268	0.02	25/3	0.05
269	0.13	28	0.05
270	0.07	62	0.13
257/4	0.02	34	0.04
29	0.02	35	0.03
योग . . .	<u>7.33</u>	361/2	0.10
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—उज्जैन-उन्हेल-नागदा- घिनोदा-जावरा टू-लेन (बी.ओ.टी) सड़क निर्माण हेतु.		45/1	0.02
(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड खाचरौद के कार्यालय में किया जा सकता है.		46/1	0.10
		318/2	0.06
प्र. क्र. 3-अ-82-09-10-क्र. 8844-भूमिसंपादन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		317/1	0.12
		58	0.15
		61	0.11
		317/6	0.18
		317/2	0.03
		318/1	0.06
		46/2	0.01
		320	0.03
		321	0.03
(1) भूमि का वर्णन		360/584	0.02
(क) जिला—उज्जैन		361/1	0.07
(ख) तहसील—खाचरौद		364/2/1	0.07

(1)	(2)	(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड खाचरौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
364/2/2	0.05	
395	0.30	
396	0.15	
397	0.06	
398	0.05	
399	0.03	
400	0.02	
401/1	0.07	
401/2	0.06	
402	0.06	
406	0.01	
403	0.11	
404	0.10	
405	0.09	
444/2	0.02	
446/1	0.06	
446/2	0.09	
447	0.11	
454	0.18	
575/1	0.09	
459	0.10	
456	0.18	
457	0.50	
461	0.18	
462	0.01	
463	0.04	
570	0.10	
571	0.10	
574/1	0.05	
574/2	0.05	
574/3	0.04	
576/1	0.07	
574/4	0.04	
575/3	0.03	
575/4	0.03	
575/2	0.02	
407/582	0.16	
364/1	0.08	
	योग . . .	
	<u>6.57</u>	

प्र. क्र. 3-अ-82-09-10-क्र. 8845-भूमिसंपादन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

- (क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—खाचरौद
(ग) नगर/ग्राम—घिनोदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.86 हेक्टर + 700 वर्गफीट.

सर्वे नम्बर

रकबा
(हेक्टर में)

(1)

(2)

1110

0.03

1112

200 वर्गफीट

1112

250 s-f-

1112

250 s-f-

1123

0.09

1133

0.03

1380

0.17

1389

0.34

1101/2

0.01

1101/1

0.01

1101/3

0.01

1101/4

0.01

1103

0.02

1104

0.04

1144

0.01

1145

0.02

1134

0.01

1135

0.01

1136

0.01

1137

0.02

1138

0.01

1139

0.01

1140

0.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—उज्जैन-उन्हेल-नागदा-घिनोदा-जावरा टू-लेन (बी.ओ.टी) सड़क निर्माण हेतु.

(1)	(2)	(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड खाचरौद के कार्यालय में किया जा सकता है।
1141	0.03	
1142	0.01	
1143	0.01	
952	0.02	
954/1	0.06	
956/1	0.01	
956/2	0.05	
957	0.06	
958/1	0.05	
958/2	0.05	
964/1	0.08	
1145	200 s-f-	
1145	300 s-f-	
1146	0.03	
1147	0.03	
965	0.03	
966	0.04	
967/1	0.02	
967/2	0.02	
967/3	0.07	
968	0.02	
971	0.02	
880/1	0.10	
881	0.03	
880/2	0.11	
1732	0.03	
1733	0.12	
1739	0.40	
1740	0.16	
1741	0.10	
1725/1	0.02	
1725/3	0.04	
1109	445 s-f-	
1797	0.04	
1800/1	0.09	
1800/2	0.03	
1150	350 s-f-	
1150	200 s-f-	
योग . . . 2.86 + 700		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—उज्जैन-उन्हेल-नागदा-घिनोदा-जावरा टू-लेन (बी.ओ.टी) सड़क निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 3-अ-82-09-10-क्र. 8846-भूमिसंपादन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

- (क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—खाचरौद
(ग) नगर/ग्राम—उमरनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.89 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
7	0.11
30	0.06
31	0.08
9/1	0.23
9/2	0.11
29	0.27
33	0.07
34	0.22
40	0.26
478	0.42
486	0.06
योग . . . 1.89	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—उज्जैन-उन्हेल-नागदा-घिनोदा-जावरा टू-लेन (बी.ओ.टी) सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड खाचरौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.